पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रं0 2138 /अनु0प्रको0/2015 रायपुर, दिनांक 26/10/2015

//अधिसूचना//

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं / विभागों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रदायित यात्रा अनुदान, सेमिनार अनुदान, प्रकाशन अनुदान, विजिटिंग प्रोफेसर /फेलो, शोध छात्र को प्रदाय अनुदान से संबंधित नस्तियां एवं प्रस्ताव तथा समस्त केन्द्रीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यू0जी0सी0, आई0सी0एस0एस0आर0, सी0जी0 कास्ट, फिस्ट, डी0बी0टी0 एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले शोध परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाण पत्र, तथा दिए गए अनुदान का लेखा एवं नस्तियां विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अनुदान प्रकोष्ठ के माध्यम से न भेजते हुए सक्षम अधिकारियों के समक्ष सीधे प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे संबंधितों का लेखा परीक्षण एवं रिकार्ड रखने में अनुदान प्रकोष्ठ को समस्या होती है ।

अतः इस अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रदायित अनुदान की नस्ती एवं प्रस्ताव अनुदान प्रकोष्ठ के माध्यम से ही निर्धारित समय पर सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें अन्यथा उस अनुदान संबंधित राशि का समायोजन /भुगतान नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए वे स्वंय जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

पृ0 क्रं0 2139 /अनु0प्रको0/2015 रायपुर, दिनांक 26/10/2015

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / विभाग
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
   पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अनु0प्रको0)